आयुर्वेद प्रसाद मंडल और अन्य

बनाम

श्रीमती गीता भास्कर पेंडसे और अन्य

12 अप्रैल, 1991

[पी. बी. सावंत और एम. फातिमा बीवी, जे. जे.]

*बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974-धारा 11,77-आरक्षण/अनारक्षण पर सरकारी प्रस्ताव और विश्वविद्यालय के निर्देश-पिछड़े वर्गों के पक्ष में कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण-उसका अनारक्षण-प्रक्रिया का पालन किया जाना-प्रक्रिया का पालन किए बिना पदों की नियुक्ति-पद भरने की वैधता-निर्देश जारी किए गए।*

**शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए, अपीलार्थी द्वारा प्रबंधित कॉलेज-ट्रस्ट में संस्कृत में व्याख्याता के पद के लिए एक रिक्ति थी। उक्त पद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। प्रथम प्रत्यर्थी, जो किसी पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं था, ने अपीलार्थी-न्यास द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले ही पद के लिए आवेदन कर दिया था। बाद में उस शैक्षणिक वर्ष का उल्लेख किए बिना एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसके लिए नियुक्ति की जानी**

थी, हालांकि यह माना जाता है कि यह शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए था। विज्ञापन में विशेष रूप से कहा गया था कि यह पद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था और यदि ऐसा कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक महीने के भीतर, विज्ञापन को दोहराया गया और फिर भी पिछड़े वर्ग के किसी भी उम्मीदवार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अपीलार्थी-न्यास ने प्रथम प्रत्यर्थी को नियुक्त किया, जिसने पहले 19.3.84 से 30.4.84 तक आवेदन किया था।

पुनः, 1984 में शैक्षणिक वर्ष 1984-85 के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। और पिछड़े वर्ग के किसी भी उम्मीदवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रथम उत्तरदाता का साक्षात्कार लिया गया और एक वर्ष के लिए 19.4.85 तक नियुक्त किया गया।

शैक्षणिक वर्ष 1985-86 के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। प्रथम उत्तरदाता को 10 जुलाई 1985 से 30 अप्रैल, 1986 तक उक्त पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। इसके बाद नोटिस जारी होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

शैक्षणिक वर्ष 1986-87 के लिए उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। हालाँकि, 1.5.1987 पर, सभी वर्गों के उम्मीदवारों से उक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया गया था। जो पद के योग्य है। प्रत्यर्थी 1 और 5 और एक अन्य उम्मीदवार, जो गैर-

पिछड़े वर्गों से संबंधित थे, ने आवेदन किया। पाँचवें उत्तरदाता का चयन किया गया और उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किया गया।

इसके बाद, निश्चित अवधि के लिए वेतन का भुगतान न करने के संबंध में और उसके समाप्ति आदेश को रद्द करने के लिए, प्रथम प्रत्यर्थी ने कॉलेज न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने संबंधित अवधि के लिए वेतन के लिए उनके दावे को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी फिर से नियुक्ति के अधिकार को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी थी और उनके इस दावे की पुष्टि की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने दो शैक्षणिक वर्षों तक सेवा की थी, मामले के दायरे में स्थापित नहीं किया गया था।

न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ, उच्च न्यायालय एक लिखित याचिका के माध्यम से प्रथम प्रत्यर्थी ने संपर्क किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अपनी वास्तविक नियुक्ति में विराम के बावजूद, वह 19 मार्च, 1984 से 30 अप्रैल, 1986 तक लगातार नौकरी में थी, और इसलिए राज्य सरकार के संकल्पों और विश्वविद्यालय के निर्देशों का लाभ पाने की हकदार थी, जिसमें उच्च न्यायालय के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि एक कर्मचारी जिसे लगातार दो शैक्षणिक वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, उसे पहली नियुक्ति के समय से ही परिवीक्षा पर माना जाना चाहिए और इसलिए, उसे

पद पर पुष्टि की जानी चाहिए। पूर्ण वेतन, वरिष्ठता आदि के लाभ का भी आदेश दिया गया था।

उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा विशेष याचिका द्वारा वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय,

अभिनिर्धारितः 1. अपीलार्थी-न्यास ने निर्देशों का उल्लंघन किया था। सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय की भी उन नियुक्तियों में जिनके परिणामस्वरूप न तो प्रथम प्रत्यर्थी की और न ही 5 वें प्रत्यर्थी की नियुक्ति वैध रूप से की गई थी। दोनों नियुक्तियाँ पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के मामले में सरकारी प्रस्तावों और विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किए बिना की गई थीं जो कॉलेज पर बाध्यकारी हैं। दुर्भाग्य से, मामले के ये पहलू जो अभिलेख से स्पष्ट हैं, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दृष्टि खो दिए गए थे।

2.1. मान लीजिए, 5 वें प्रत्यर्थी का चयन ऐसी समिति के द्वारा किया गया था जिसमें न तो कुलपति का नामित किया गया हो और न ही विश्वविद्यालय द्वारा नामित विशेषज्ञ और न ही शिषा निदेशक (उच्च शिक्षा) अर्थात आयुर्वेद का नोमिनी उपस्थित था। इसलिए इस तरह से किया गया चयन वैध नहीं था।

2.2. अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि जब अपीलार्थी ट्रस्ट ने 5 वें प्रतिवादी की नियुक्ति पर अपनी रिपोर्ट भेजी, इसने

विश्वविद्यालय को उनके चयन के समय विशेषज्ञ की अनुपस्थिति से अवगत कराया। विश्वविद्यालय ने विशेषज्ञ की उपस्थिति के बिना नियम में ढील देने और चयन की अनुमति देने की शक्ति सुरक्षित नहीं रखी है। विश्वविद्यालय के पत्र में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि विश्वविद्यालय ने विशेषज्ञ की अनुपस्थिति क्यों स्वीकार की थी। विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक स्थिति के बारे में अनभिज्ञता और नियम के उल्लंघन में दी गई मंजूरी कानूनी रूप से अप्रभावी है और नियुक्ति को मान्य नहीं कर सकती है।

3. मान लीजिए, यह पद शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए आरक्षित था। ट्रस्ट ने किसी भी शैक्षणिक वर्ष 1983-84,1984-85 और 1985-86 के लिए छह महीने के भीतर तीन विज्ञापन नहीं दिए थे। दूसरी ओर, शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए, इसने केवल दो विज्ञापन जारी किए। यह ज्ञात नहीं है कि ये दोनों विज्ञापन भी उक्त शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में क्यों जारी नहीं किए गए थे। जहाँ तक दूसरे शैक्षणिक वर्ष 1984-85 के संबंध में, इसने केवल एक विज्ञापन जारी किया, और शैक्षणिक वर्ष 1985-86 के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए प्रथम प्रत्यर्थी की प्रारंभिक नियुक्ति और बाद के शैक्षणिक वर्षों 1984-85 और 1985-86 के लिए उसकी निरंतरता सरकारी प्रस्तावों का उल्लंघन था और विश्वविद्यालय का निर्देश और इसलिए, अवैध है। इसी तरह, चूंकि 5 वें प्रत्यर्थी की नियुक्ति अनारक्षण से पहले प्रक्रिया का पालन किए बिना

की गई थी, उसी तरह उन तीनों शैक्षणिक वर्षों के लिए हर साल तीन विज्ञापनों को दोहराया गया, जिनके लिए पद आरक्षित किया जाना था, पद पर उनकी नियुक्ति, जैसे कि पद कानूनी रूप से वैध था। यह भी अवैध था क्योंकि पद के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए उपलब्ध कराएँ।

4. यह मान भी लिया जावे कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति और उसके बाद सेवा की निरंतरता वैध थी, प्रथम उत्तरदाता को विश्वविद्यालय निर्देश 11 मार्च, 1987 के लाभ के हकदार नहीं होगा क्योंकि छुट्टी के वेतन के लिए उसकी पात्रता अवकाश के अंत तक रोजगार की अवधि के लिए विस्तारित नहीं करती है। वह एक सुविधा है जो प्रत्येक शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने इस शैक्षणिक वर्ष में सेवा की है। इसका रोजगार की निरंतरता से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उन शिक्षकों को भी अवकाश अवधि के वेतन का लाभ दिया गया था, जिनका रोजगार वैध रूप से अवकाश अवधि से पूर्व समाप्त किया गया।

5. अपीलार्थी-न्यास तीन बार पर्याप्त पद का विज्ञापन करेगा। पहले से और किसी भी मामले में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी की 1990-91 की समाप्ति से छह महीने के भीतर, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद के रूप में, और यदि किसी से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है। उपयुक्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार, पद को आरक्षित माना जाएगा। ट्रस्ट तब ऐसे पदों को गैर-पिछड़े वर्गों के लोगों से भरने के लिए आगे बढ़ेगा। यह तथ्य

**तीनों विज्ञापनों में स्पष्ट किया जा सकता है। पाँचवाँ उत्तरदाता इसका हकदार होगा-इस तथ्य के बावजूद कि वह अधिक उम्र का हो गया है, पद के लिए आवेदन करें। यदि उनका चयन उनकी अन्य योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, तो चयन समिति अधिकतम आयु के संबंध में शर्त में उनके पक्ष में ढील देगी। यदि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति नई होगी और उनकी पिछली सेवा परिवीक्षा अवधि के लिए नहीं मानी जाएगी। न्यास नियमों के अनुसार एक उचित चयन समिति का गठन करेगा।**

**6. छात्रों की कठिनाई को दूर करने के लिए, 5 वां उत्तरदाता शैक्षणिक वर्ष 1991-92 के लिए प्रक्रिया पूरी होने तक विशुद्ध रूप से अस्थायी शिक्षक के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1779, 1991 का।

बॉम्बे के 10.4.90 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1987 के डब्ल्यू. पी. सं. 1944 में उच्च न्यायालय।

एम. सी. भंडारे, सी. पी. यू. नायर, सुश्री कामिनी लाओ और एम. एन. श्रॉफ अपीलार्थी।

वी. एन. गणपुले, एस. के. अग्निहोत्री, ए. एस. भासमे और सुश्री एच. वाही उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सावंत, जे. लीव मंजूर।

2. अपीलार्थी नं. 1 एक ट्रस्ट है, जिसके द्वारा बॉम्बे में आयुर्वेद कॉलेज का प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है। अपीलार्थी सं. 2. महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए संस्कृत में व्याख्याता के पद पर एक रिक्ति थी जो स्वीकार्य रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित थी। प्रथम प्रत्यर्थी ने उक्त पद के लिए आवेदन दिनांक 19 सितंबर, 1983 को अपीलार्थी से पहले ही उक्त पद-न्यास ने रिक्तता का विज्ञापन करके आवेदन आमंत्रित किए थे क्योंकि यह करने के लिए आवश्यक था। तत्पश्चात, 13 अक्टूबर, 1983 को अपीलार्थी-न्यास ने किस शैक्षणिक वर्ष के लिए नियुक्ति की जानी थी, इसका उल्लेख किए बिना पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। हमसे पहले के पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए था। विज्ञापन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यह पद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था और यदि पिछड़े वर्ग से कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके एक महीने के भीतर 12 नवंबर, 1983 को पहले के विज्ञापन को दोहराते हुए दूसरा विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के जवाब में किसी भी उम्मीदवार, जो पिछडे वर्ग का है, का कोई भी आवेदन इस विज्ञापन के जवाब में प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए, पहला प्रत्यर्थी जिसने

पहले ही आवेदन कर दिया था, उसे 19 मार्च, 1984 से 30 अप्रैल, 1984 तक की अवधि के लिए उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रथम उत्तरदाता द्वारा दी गई सेवा की कुल अवधि 41 दिन थी। 28 अप्रैल, 1984 को, अपीलार्थी-न्यास ने उसी पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया जिसमें पहले के विज्ञापन की सामग्री को दोहराया गया था, लेकिन शैक्षणिक वर्ष 1984-85 के लिए। आवेदन 30 अप्रैल, 1984 तक आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन का जवाब में पिछड़े वर्ग के किसी भी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया। साक्षात्कार 30 जून, 1984 को आयोजित किया गया था और पहले प्रत्यर्थी को 21 अगस्त, 1984 से 19 अप्रैल, 1985 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

3. तीसरे शैक्षणिक वर्ष 1985-86 में, जाहिर है कोई विज्ञापन नहीं जारी किया गया और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों से कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए। हालांकि, पहले प्रतिवादी को 10 जुलाई, 1985 से 30 अप्रैल, 1986 तक इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्रथम प्रतिवादी की सेवाओं को 30 अप्रैल, 1986 से 12 मार्च, 1986 के एक नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

4. शैक्षणिक वर्ष 1986-87 में उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। 1 मई, 1987 को ट्रस्ट ने सभी वर्गों के उम्मीदवारों से उक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया, क्योंकि ट्रस्ट के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान पद आरक्षित था। प्रथम उत्तरदाता और

पाँचवें उत्तरदाता सहित गैर-पिछड़े वर्गों के तीन उम्मीदवारों ने पद के लिए आवेदन किया और पाँचवें उत्तरदाता का चयन किया गया और उन्हें नियुक्त किया गया।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रत्यर्थी को शैक्षणिक वर्षों 1984-85 और 1985-86 के बाद गर्मियों की छुट्टियां के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। नवंबर 1985 से अप्रैल 1986 तक उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया था। उन्होंने (i) नवंबर 1985 से अप्रैल 1986 तक और (ii) 287 के बाद गर्मी की छुट्टियों के वेतन के लिए कॉलेज ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। शैक्षणिक वर्ष 1984-85 और 1985-86, अर्थात, मई के महीनों और जून 1985 के हिस्से के लिए, और मई और जून 1986 के हिस्से के लिए, और (iii) उनकी सेवा की समाप्ति के आदेश को अपास्त करने और बहाली के लिए। न्यायाधिकरण ने संबंधित अवधि के वेतन के लिए उनके दावे की अनुमति दी, लेकिन बहाली के लिए उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी थी और उनका दावा कि उनकी पुष्टि की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने दो शैक्षणिक वर्षों तक सेवा की थी, मामले की परिस्थितियों में स्थापित नहीं हुआ था। यह निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा 9 दिसंबर, 1986 को दिया गया था। जैसा कि पहले कहा गया है, शैक्षणिक वर्ष 1986-87 के दौरान, उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी और इस निर्णय के बाद ही सभी वर्गों के

उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था और उक्त पद पर 5 वें उत्तरदाता की नियुक्ति की गई थी।

न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध प्रथम प्रत्यर्थी की मंजूरी उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी वास्तविक नियुक्ति में विराम के बावजूद, वह 19 मार्च, 1984 से 30 अप्रैल, 1986 तक लगातार नौकरी में थीं। इसलिए, वह क्रमशः 29 सितंबर, 1986 और 27 फरवरी, 1987 के राज्य सरकार और बॉम्बे विश्वविद्यालय के संशोधनों के लाभ की हकदार थी, जिसमें उच्च न्यायालय के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि एक कर्मचारी जिसे लगातार दो शैक्षणिक वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, उसे पहली नियुक्ति के समय से ही परिवीक्षा पर माना जाना चाहिए और इसलिए, पद पर पुष्टि की गई। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन्हें तुरंत पद पर बहाल करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह 19 मार्च, 1984 से पूर्ण वेतन, वरिष्ठता आदि के लाभ के साथ निरंतर रोजगार में थीं। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय, आयुर्वेद निदेशक, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र राज्य को, जो याचिका के क्रमशः 3,4 और 5 उत्तरदाता थे, और जो वर्तमान अपील के क्रमशः 2,3 और 4 उत्तरदाता हैं, उचित मंजूरी देने का भी निर्देश दिया, यदि आवश्यक हो तो, धन अनुदान भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने कॉस्ट के भी आदेश दिये और कहा अपीलार्थियों द्वारा

अपने आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर आदेशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया, जो कि 10 अप्रैल, 1990 है।

6. यद्यपि विभिन्न विवाद उठाए गए हैं, जिसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अनुसार अपीलार्थी-ट्रस्ट ने दो प्रमुख मामलों में विचाराधीन नियुक्तियों में सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप न तो प्रथम प्रत्यर्थी की नियुक्ति हुई और न ही 5 वें प्रत्यर्थी की नियुक्ति को वैध रूप से किया गया कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से, मामले के ये पहलू जो अभिलेख से स्पष्ट हैं, जो न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने उनकी दृष्टि खो दी थी। परिणाम यह हुआ है कि रिकॉर्ड के सामने जो अवैधताएं थीं, उन्हें कायम रखा गया है।

7. महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकार प्रस्ताव नं. यूएसजी। 1177 / 129387 / XXXII (सी. ई. एल. एल.) 25 अक्टूबर, 1977 जारी की थी। जिसमें सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है, जो परिशिष्ट III में दिखाया गया है। 3 अप्रैल, 1978 के एक और प्रस्ताव द्वारा, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 25 अक्टूबर, 1977 के संशोधन द्वारा स्वीकृत वेतन के संशोधित पैमाने को कानूनों के बाद, जो विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाया गया था, लागू किया जा सकता है। चूँकि क़ानून बनाने में कुछ समय लगना था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन के संशोधित पैमाने 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी होने थे, जैसा कि 25 अक्टूबर,

1977 के जी. आर. में निर्धारित किया गया था, कुलपति ने बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) (बी) के तहत उन्हें प्रदान की गई अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और 7 जून, 1978 को अपना निर्देश संख्या 192 1978 जारी किया। इस निर्देश में, अन्य बातों के अलावा, शिक्षकों और प्राचार्यों की भर्ती का तरीका निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

> " भविष्य में महाविद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से बनाए जाएंगे। जिसकी संरचना शर्तों में निर्दिष्ट है और शर्तें (परिशिष्ट II) में दे रखी है"

परिशिष्ट II इस प्रकार बताता हैः

" वेतन के संशोधित मानकों से जुड़े नियम और शर्तें।

(i)xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

(ii) महाविद्यालयों में शिक्षकों की सभी नियुक्तियां योग्यता और अखिल भारतीय विज्ञापन के आधार पर की जाएंगी। पदों के लिए निर्धारित विषय में शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित योग्यता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, साम्प्रदायिक या जातिगत विचार पर मान्यता प्राप्त है और इसे भाषा या अन्य से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चयन समिति द्वारा संविधान के अनुसार महाविद्यालय में स्नातक के पदों के लिए विज्ञप्ति निम्नानुसार होनी चाहिएः

(क) अध्यक्ष, महाविद्यालय का शासी निकाय या उसका नामांकित;

(ख) कुलपति का नामित व्यक्ति,

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा नामित किया जाने वाला एक विशेषज्ञ।

(घ) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) का एक नामनिर्देशित,

(ङ) महाविद्यालय के प्राचार्य; और

(च) महाविद्यालय के संबंधित विभाग के प्रमुख।

किसी भी चयन को वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि कम से कम एक विशेषज्ञ मौजूद न हो। चयन समिति की सिफारिशें कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन होंगी।

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(जोर दिया गया)

8. उपरोक्त सरकारी संकल्पों का प्रभाव और विश्वविद्यालय के निर्देश हैं कि (क) महाविद्यालयों में शिक्षकों की सभी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर और अखिल भारतीय विज्ञापन के आधार पर की जानी चाहिए; (ख) यह नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें, अन्य बातों के अलावा, कुलपति का एक नामांकित व्यक्ति, विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक विशेषज्ञ और शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नामित एक नामित

व्यक्ति शामिल हो। जब तक चयन के लिए कम से कम एक विशेषज्ञ मौजूद नहीं होगा, तब तक किसी भी चयन को वैध नहीं माना जाएगा।

9. यह स्वीकृति स्थिति है कि 5 वें प्रत्यर्थी का चयन किया गया था एक समिति जिसमें न तो कुलपति का नामित व्यक्ति और न ही विश्वविद्यालय द्वारा नामित विशेषज्ञ और न ही शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) का नामित व्यक्ति, अर्थात आयुर्वेद निदेशक के वर्तमान मामले में उपस्थित थे। इसलिए इस तरह से किया गया चयन वैध नहीं था। अपीलार्थी-ट्रस्ट के विद्वान वकील श्री भंडारे ने 2 जुलाई, 1987 से परिवीक्षा पर संस्कृत में व्याख्याता के रूप में 5 वें प्रत्यर्थी की नियुक्ति के अनुमोदन के अनुसार बॉम्बे विश्वविद्यालय द्वारा 6 जून, 1989 को भेजे गए पत्र की ओर इशारा किया और कहा कि उक्त अनुमोदन को देखते हुए चयन समिति में विशेषज्ञ की अनुपस्थिति के कारण नियुक्ति की अयोग्यता, यदि कोई हो, को माफ कर दिया जाना चाहिए। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। पहली बार में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि क्या जब अपीलकर्ता-ट्रस्ट ने 5 वें प्रतिवादी की नियुक्ति पर अपनी रिपोर्ट भेजी थी, तो ट्रस्ट ने विश्लवविद्यालय को अवगत कराया कि चयन के समय विशेषज्ञ की अनुपस्थिति थी। दूसरा, विश्वविद्यालय ने विशेषज्ञ की उपस्थिति के बिना नियम में ढील देने और चयन की अनुमति देने की शक्ति सुरक्षित नहीं रखी है। विश्वविद्यालय के पत्र में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि विश्वविद्यालय ने विशेषज्ञ की अनुपस्थिति क्यों स्वीकार की थी। इसलिए,

यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मंजूरी वास्तविक स्थिति के बारे में अनभिज्ञता और नियम के उल्लंघन में कानूनी रूप से अप्रभावी है और नियुक्ति की प्रमाणिकता तय नहीं कर सकती है।

10. प्रथम और पांचवा प्रत्यर्थी के नियुक्ति में आम अवैधता है जो पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के मामले में सरकारी प्रस्तावों और विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कॉलेज पर बाध्यकारी हैं।

11. 30 मार्च 1981 को महाराष्ट्र सरकार ने अधिनियम की धारा 77-सी की उप-धारा (2) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किए जाने वाले पदों के आरक्षण के संबंध में सभी गैर-कृषि विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने का प्रस्तावित आरक्षण इस प्रकार थाः

| | |
|---|---|
| (1) अनुसूचित जातियाँ | 13 पी. सी |
| (2) अनुसूचित जनजातियाँ | 7 पी. सी |
| (3) खानाबदोश जनजातियाँ और | 4 पी. सी |
| विमुक्त जातियाँ | कुल 24 पी.सी |

उस प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि "पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण और अन्य रियायतें" पुस्तिका में निहित विभिन्न आदेश विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे, बशर्ते कि शिक्षण पदों पर भर्ती के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं। अन्य बातों के अलावा, संशोधन इस प्रकार थेः

> " इसी तरह, शिक्षण पदों पर भर्ती के किसी भी समय, केवल आरक्षित रिक्तियों और जिन अनुभागों से उन्हें भरा जाना है, उनकी कुल संख्या तय होनी चाहिए। यह पर्याप्त होगा यदि आवश्यक प्रतिशत समग्र रूप से पूरा किया जाता है ना कि किसी विशेष पोस्ट के संदर्भ में । यदि आरक्षित रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता है, तो कई पद जो भरे नहीं जा सकते हैं, उन्हें छह माह के लिए खाली रखा जा सकता है आैर फिर से तीन बार विज्ञापित किया जाना चाहिए। इसके बाद भी यदि उपयुक्त उम्मीदवार पिछड़े वर्गों से संबंधित उपलब्ध नहीं होते हैं, तो एेसे पद अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी जा सकती है।"
>
> " उपरोक्त निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए, यह विश्वविद्यालयों के लिए धारा 77 सी (1), के तहत कानून बनाना अपने संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम 1974

आवश्यक होगा।तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति विनियमन पर विचार कर सकते हैं। निर्देश जारी करके मामले को दर्ज करना, लंबित रखना व धारा 11 (6) 1974 के संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड (बी) के तहत उनके विश्वविद्यालयों द्वारा क़ानून बनाना।"

(जोर दिया गया)

12. 20 अक्टूबर, 1983 के बाद के प्रस्ताव द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने मार्च के अपने पहले के प्रस्ताव को स्पष्ट किया और कहाः

"1. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

2. उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने के बाद यदि मान्यता प्राप्त संस्थान, महाविद्यालय,विश्वविद्यालय में पिछडे वर्ग से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उन पदों को एेसे उम्मीदवार जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनको अस्थायी तौर पर एक शेक्षणिक वर्ष के लिए भरा जाएगा। जैसा कि उपर उल्लेखित विज्ञप्ति में दिया गया है कि एेसे अनारक्षितक उम्मीदवारों की नियुक्ति आरक्षित पदों पर उसी स्थिति में की जाएगी जब पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार तीन बार विज्ञप्ति निकालने के बाद भी पद भरे नहीं जा सके।

3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(जोर दिया गया)

13. इसके बाद दिनांक 29 सितंबर, 1986 को सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव जारी किया गया कि उस विषय पर जिसमें कहा गया है कि यह सरकार के ज्ञात में आया है कि कुछ संस्थान पूर्व में जारी की गयी विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 1981 और 30 अक्टूबर, 1983 में दिए दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने निर्देश दिया कि उक्त निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में आगे निर्देश दिया गया कि जिन गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे और तीसरे शैक्षणिक वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया जा रहा था, जब पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार पहले शैक्षणिक वर्ष के लिए नियुक्ति के लिए नहीं पाए गए थे, उन्हें हर साल साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए और गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दूसरे और तीसरे शैक्षणिक वर्ष के लिए भी साक्षात्कार के लिए बुलाए बिना नियुक्त किया जाना चाहिए। उक्त प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि, इसी तरह, जैसे ही आरक्षित पद का निर्वहन किया जाता है, नियुक्त उम्मीदवार को अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन आरक्षण की तारीख से उस पद पर पुष्टि की जानी चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानून बनाए जाने चाहिए और तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कुलपति को अधिनियम की धारा 11 (6) का खंड (बी) के तहत निर्देश जारी करने चाहिए।

सरकार के उक्त संकल्प के अनुसार, विश्वविद्यालय के उपकुलाधिपति ने 11 मार्च, 1987 को निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) यह कि जो पद प्रथम शेक्षणिक वर्ष में चयन कर अनारक्षित उम्मीदरवारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भरी गयी थी, उन पदों को पुनः अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जनजातियों के लिए और खानाबदोश जनजातियाँ के उम्मीदवारों के लिए दूसरी व तीसरी साल के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाएं। हालाँकि, गैर-पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन भी हो सकते हैं यदि उपयुक्त गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जो पहले से ही प्रथम वर्ष नियुक्त हैं वो में पुनर्नियुक्ति के लिए दूसरे या तीसरे वर्ष में उपलब्ध नहीं है और, या उनकी सेवाओं की आवश्यकता है असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण समाप्त किया गया है।

(2) यदि द्वितीय वर्ष में विज्ञापन के जवाब में पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो उपयुक्त गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जो पहले से आरक्षित पद पर नियुक्त हैं, को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह फिर से आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाएगा, यदि वह पुनर्नियुक्ति के लिए उपलब्ध है।

(3) यह कि अगर तीसरे विज्ञापन के जवाब में तीसरे वर्ष, में आरक्षित पद के उम्मीदवार जो एससी, एसटी, डीटी, या एनटी वर्ग के हैं, से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कॉलेज अथोरिटी आरक्षित पदों का अनारक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगा। अनारक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद गैर-पिछड़े की नियुक्ति पूर्वव्यापी परीक्षण के साथ परिवीक्षा पर माना जाएगा। जिसका प्रभाव उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी। यदि वह काॅलेज में निरंतर दो साल से नियुक्त रहा हो, या उसी प्रबंधन के तहत किसी अन्य कॉलेज में, और वह नियुक्ति की पुष्टि दो साल की निरंतर नियुक्ति की दिनांक से की जाएगी आैर निरंतर नियुक्ति के दो वर्ष पूर्ण होने की तिथियों से उसकी नियुक्ति स्थायी मानी जावेगी।

उपरोक्त निर्देश लागू होगा महाराष्ट्र की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव सरकारी संकल्प यानि 29-9-1986 का जो अर्थात जो गैर-पिछड़ा वर्ग शिक्षक पात्र है उपरोक्त दिशा का लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा उनका पद 29-9-1986 से या उसके बाद की किसी तारीख से प्रभावी होगा जिस पर वह स्थायीकरण के लिए पात्र हो सकता है उपरोक्त निर्देशों के अनुसार.

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(जोर दिया गया)

14. इन सरकारी प्रस्तावों और विश्वविद्यालयों के अनुसार निर्देश (ए) जब भी पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए कोई पद आरक्षित किया जाता है, तो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 6 महीने के भीतर पद का तीन बार विज्ञापन किया जाना चाहिए। यदि पिछड़े वर्गों से कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो उक्त 6 महीने के लिए पद खाली रखा जाना चाहिए; (ख) उपरोक्त तीन विज्ञापन दिए जाने के बाद ही गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार द्वारा एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से पद भरा जाना है; (ग) उपरोक्त प्रक्रिया को दो और शैक्षणिक वर्षों के लिए दोहराया जाना है; (ग) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के अभाव में पहले शैक्षणिक वर्ष में अस्थायी रूप से नियुक्त गैर-पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार को अगले दो शैक्षणिक वर्षों के लिए अस्थायी नियुक्ति के रूप में जारी रखा जाना है। अगले दो वर्षों के लिए नए सिरे से साक्षात्कार; (घ) यदि तीसरे शैक्षणिक वर्ष में तीसरे विज्ञापन के बावजूद, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कॉलेज के अधिकारी स्वतंत्र रूप से आरक्षित पद के अनारक्षण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। (ङ) पद के अवमूल्यन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गैर-पिछड़े वर्ग के शिक्षक की नियुक्ति उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से परिवीक्षा पर मानी जाएगी और उनकी दो साल की संक्षिप्त सेवा पूरी होने पर उनकी पद पर पुष्टि की जाएगी।

15. मान लीजिए, जैसा कि पहले बताया गया है, शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए पद आरक्षित था। ट्रस्ट ने किसी भी शैक्षणिक वर्ष 1983-84,1984-85 और 1985-86 के लिए छह महीने के भीतर तीन विज्ञापन नहीं दिए थे। दूसरी ओर शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए इसने केवल दो विज्ञापन 30 अक्टूबर 1983 और 12 नवंबर 1983 को जारी किए। यह ज्ञात नहीं है कि ये दोनों विज्ञापन शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में जारी नहीं किए गए थे। यह कि शैक्षणिक वर्ष जून से शुरू होना माना जाता है। जैसा है वैसा ही हो। जहां तक दूसरे शैक्षणिक वर्ष 1984-85 का संबंध है, इसमें केवल एक विज्ञापन 28 अप्रैल, 1984 को जारी किया। इसने शैक्षणिक वर्ष 1985-86 के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए प्रथम प्रत्यर्थी की प्रारंभिक नियुक्ति और बाद के शैक्षणिक वर्षों 1984-85 और 1985-86 के लिए उसकी निरंतरता, इस प्रकार सरकारी प्रस्तावों और विश्वविद्यालय के निर्देशों का उल्लंघन था और इसलिए, अवैध था। इसी तरह, चूंकि 5 वें प्रत्यर्थी की नियुक्ति अनारक्षण से पहले प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी, अर्थात, जिन तीनों शैक्षणिक वर्षों के लिए पद आरक्षित किया जाना था, उनके लिए हर साल तीन बार विज्ञापन दिए जाते थे, इस पद पर उनकी नियुक्ति, जैसे कि यह पद कानूनी रूप से आरक्षित था, भी अवैध थी क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि इस पद को गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता था।

16. श्री भंडारे ने हालांकि तर्क दिया कि इस बीच अपीलार्थी-ट्रस्ट ने आरक्षण को संस्कृत में व्याख्याता के पद से संहिता में व्याख्याता के पद पर स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए थे। ट्रस्ट ने इस उद्देश्य के लिए 2 जुलाई, 1986 को आयुर्वेद निदेशालय को एक पत्र लिखा था और निदेशालय ने 11 जुलाई, 1986 के अपने पत्र द्वारा मंजूरी दे दी थी। तथापि, यह इंगित किया जा सकता है कि संस्कृत में व्याख्याता के पद से संहिता में व्याख्याता के पद पर आरक्षण को स्थानांतरित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा 1 जुलाई, 1986 को किया गया अभ्यावेदन इस आधार पर आगे बढ़ा था कि ट्रस्ट ने सरकारी प्रस्तावों और विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से उक्त पद को भरने का प्रयास किया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ट्रस्ट ने उक्त संकल्पों और निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार प्रयास नहीं किए थे । इसने जिस तरह से विज्ञापन जारी करना आवश्यक था, उस तरह से विज्ञापन जारी नहीं किया था। स्पष्ट रूप से अपर्याप्त जानकारी के आधार पर मंजूरी प्रदान की गयी थी। जो मंजूदी दी गयी थी, वह कानून में दोषपूर्ण थी। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इन दोनों में से किसी भी उत्तरदाताओं की नियुक्ति में इन दुर्बलताओं पर ध्यान नहीं दिया।

17. श्री गणपुले, प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि चूंकि पहले प्रत्यर्थी को प्रथम शैक्षणिक वर्ष, अर्थात 1983-84 में नियुक्त किया गया था और अगले दो शैक्षणिक वर्ष,

अर्थात 1984-85 और 1985-86 के लिए जारी रखा आैर वह परिपत्र संख्या 98 में निहित विश्वविद्यालय के निर्देशों के लाभ के लिए हकदार थी, जो यह कहता है कि पिछड़े वर्ग के शिक्षक जो उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से दो साल से लगातार परिवीक्षा पर हैं को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ परिवीक्षा पर माना जाएगा । यद्यपि प्रथम उत्तरदाता की सेवाएँ दिनांक 30 अप्रैल, 1986 से समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वह छुट्टी के वेतन का लाभ शैक्षणिक वर्ष 1985-86 का हकदार होने पर उसे अवकाश पूर्ण होने के बाद सेवा में माना जाएगा। और, इसलिए, उसे दिनांक 29 सितंबर, 1986 को सेवा में कहा जा सकता है  जिस तारीख से उक्त विश्वविद्यालय का निर्देश प्रभावी होना था। यह विवाद इस आधार पर आगे बढ़ता है कि उसका प्रारंभिक नियुक्ति और अगले दो शैक्षणिक साल के पदों के लिए सेवा वैध हो। हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि वे यह नहीं कर सकते कि वैध माना जाता है। हालाँकि, यह मानते हुए कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति में और बाद में सेवा की निरंतरता वैध थी, वह 11 मार्च, 1987 के विश्वविद्यालय निर्देश के लाभ के लिए हकदार नहीं होगी, क्योंकि छुट्टी के वेतन के लिए उसकी पात्रता उसे विस्तारित नहीं करती है जो अवकाश के अंत तक रोजगार की अवधि है। यह एक अनुलाभ है जो प्रत्येक शिक्षक को प्रदान की जाती है जिसने इस दौरान सेवा की है शैक्षणिक वर्ष। इसका रोजगार की निरंतरता से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उन शिक्षकों की भी जिनकी सेवाएं छुट्टी की अवधि शुरू होने से पहले समाप्त कर दी जाती है वैध हैं उनको भी अवकाश के वेतन की अवधि का लाभ दिया गया है। यह स्थिति

संविधि 424 विश्वविद्यालय में  स्पष्ट है, जो याचिका के अनुलग्नक 'सी' के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है। अतः इस तर्क का कोई महत्व नहीं है।

इस दृष्टि से हमने प्रथम और पांचवे उत्तरदाता दोनों की नियुक्तियाँ ली हैं, जो वैध नहीं था।

18. यह पद शैक्षणिक वर्ष 1983-84 के लिए आरक्षित था। अब हम शैक्षणिक वर्ष 1990-91 के अंत में है। इसलिए, एक नई नियुक्ति, शैक्षणिक वर्ष 1991-92 के लिए करनी होगी। इसी बीच, कई घटनाएं हुई हैं। प्रतिवादी की प्रथम नियुक्ति को 30 अप्रैल, 1986 से ही समाप्त कर दिया गया है। पाँचवाँ प्रतिवादी 2 जुलाई, 1987 से सेवा में है। हमें सूचित किया जाता है कि आज वह अधिक उम्र का हो गया है। पहली प्रत्यर्थी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय भी अधिक उम्र की थी। हालाँकि विज्ञापन में कहा गया था कि उम्मीदवार की आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। विज्ञापन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि आयु में छूट दी जा सकती है। लेकिन यह इतिहास की बात है। बीच में जबकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधूरी जानकारी पर, आयुर्वेद के निर्देश दर ने अपीलार्थी-ट्रस्ट को आरक्षण को संहिता में व्याख्याता के पद पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-ट्रस्ट को अवैधताओं को ठीक करने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए।

19. जबकि, इसलिए, हम न्यायाधिकरण के आदेश को बनाए रखते हैं और यह निर्धारित करते हैं उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए, हम अपीलकर्ता-ट्रस्ट को निर्देश देते हैं कि वह वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 1990-91 की समाप्ति से छह महीने के भीतर तीन बार पर्याप्त रूप से अग्रिम रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद के रूप में विज्ञापन दे। और किसी भी मामले में यदि किसी उपयुक्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो पद को आरक्षित माना जाएगा। इसके बाद ट्रस्ट गैर-पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार द्वारा इसे भरने के लिए आगे बढ़ेगा। यह तथ्य तीनों विज्ञापनों में स्पष्ट किया जा सकता है। पाँचवाँ प्रत्यर्थी इस तथ्य को समझे बिना पद के लिए आवेदन करने का हकदार होगा कि वह इस समय तक अधिक उम्र का हो गया है। यदि उनका चयन उनकी अन्य योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, तो चयन समिति अधिकतम आयु के संबंध में शर्त में उनके पक्ष में ढील देगी। यदि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति नई होगी और उनकी पिछली सेवा परिवीक्षा अवधि के लिए नहीं मानी जाएगी। ट्रस्ट इस उद्देश्य के लिए नियमों के अनुसार एक उचित चयन समिति का गठन करेगा।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। पक्षकाराना अपना अपना खर्चा स्वयं उठाएंगे।

20. इस अपील को खत्म करने से पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा निर्णय सरकारी प्रस्तावों और हमारे सामने रखे गए विश्वविद्यालय के निर्देशों के आधार पर आगे बढ़ा है। जैसा कि ऊपर बताए गए प्रस्तावों और निर्देशों में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को छह महीने के लिए खाली रखा जाना चाहिए और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उक्त छह महीनों के दौरान तीसरे विज्ञापन के बाद ही उन्हें गैर-पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए यदि गैर-पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। शाब्दिक रूप से व्याख्या किए जाने पर, इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, पहले छह महीनों के लिए कोई शिक्षक नहीं होगा, यदि विज्ञापन की प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में शुरू होनी है। इससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए, संबंधित संस्थानों पर यह दायित्व है कि वे प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले छह महीने के भीतर तीन बार पदों का विज्ञापन करें। चूंकि वर्तमान मामले में शैक्षणिक वर्ष जून में शुरू होता है, इसलिए विज्ञापन की प्रक्रिया पिछले वर्ष के दिसंबर में शुरू होनी चाहिए। यह सामान्य अभ्यास होना चाहिए। वर्तमान मामले में एक अपवाद बनाया जाना चाहिए क्योंकि निर्णय आज दिया जा रहा है। छात्रों की कठिनाई को दूर करने के लिए, हम अनुशंसा करेंगे कि 5 वें उत्तरदाता को उस अवधि के दौरान विशुद्ध रूप से अस्थायी शिक्षक के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है जब शैक्षणिक वर्ष 1991-92 के लिए प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

तथापि, अपीलार्थी-ट्रस्ट इस आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त निर्देश के अनुसार विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाएगा।

जीएन. अपील की अनुमति दी गई।

डिस्क्लेमर - यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री दिव्य मोहन गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है आैर किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक आैर आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा अौर निष्पादन आैर कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।